आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/13/वीएस/डीईएस/2019/187 दिनांकः 11-5-2020

जिला रजिस्ट्रार एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
समस्त

विषयः– लोकडाउन/कर्फ्यु अवधि में जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु 21 दिवस के भीतर पंजीयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानो के अर्न्तगत जन्म–मृत्यु की घटना का 21 दिवस मे पंजीयन अनिवार्य है,तथा 21 दिवस के पश्चात निर्धारित विलम्ब शुल्क 1/– रूपया लेकर रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन किया जाता है।

वर्तमान मे वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव के कारण राज्य मे लोकडाउन/कर्फ्यु लागू है,ऐसी स्थिति मे राजकीय/निजी चिकित्सालयो/शमशानो/कब्रिस्तानो आदि से समय पर सूचना प्राप्त नही होने के कारण निर्धारित अवधि 21 दिवस मे पंजीयन नही हो पा रहे है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे जन्म –मृत्यु की घटनाऐ जो लोकडाउन/कर्फ्यु लागू होने की तिथी के दौरान घटित हुई है तथा जिनका पंजीयन निर्धारित अवधि 21 दिवस के भीतर नही किया गया अथवा कराया गया है तो ऐसी घटनाओ के पंजीयन मे निर्धारित 21 दिवस की अवधि के सम्बन्ध मे शिथिलता प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि मे पंजीयन नही होने पर विलम्ब शुल्क 1 रूपया देय नही होगा। यह भी उल्लेखनीय है की उक्त शिथिलता केवल लोकडाउन/कर्फ्यु लागू होने की अवधि से 21 दिवस पूर्व तथा लोकडाउन/कर्फ्यु समाप्त होने की अवधि से 21 दिवस पश्चात तक ही मान्य होगी।

भवदीय

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एंव
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/13/वीएस/डीईएस/2019/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक(जीवनांक)